न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण

वाद सं. 188/2016

उनवान

1. भरतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह
2. हितेन्द्र बेनीवाल पुत्र श्री श्यापाल बेनीवाल
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र बालुराम
2. बनवारीलाल पुत्र मालीराम
3. महेश पुत्र मालीराम
   समस्त जाति खटीक, निवासी रीको एरीया के पास ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–15.06.2018

पत्रावली पेश हुई। व.फ.उप0। वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 369 के खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1883 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1884 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1889 रकबा 1.92 है0, खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 1892 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 1893/3911 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1896/3912 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1897/3913 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1901/3910 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 15 का कुल रकबा 6.33 है0 स्थित है। उक्त भूमियों में से केवल खसरा नम्बर 1893/3911, 1896/3912, 1897/3913, 1901/3910 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.42 है0 भूमि का वाद हाजा में विवाद है जिन्हें वाद पत्र के आगे के मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 369 की भूमि कुल खसरा किता 15 का कुल रकबा 6.33 हैक्टेयर के वादीगण रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण ने रहने के लिए पुख्ता मकान एवं पशुओं के लिए पुख्ता बाडा बना रखा है। एवं वादग्रस्त भूमि में फसल की सिंचाई के लिए बोरिंग बनवा कर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। वादीगण अपनी उक्त वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त रहकर हर प्रकार से प्राकृतिक एवं खुदरा लाभ अर्जित कर रहे है। एवं उपयोग उपभोग कर रहे है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात् के पूर्वी दिशा से सीमा जोड पडौसी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादीगण की वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि की पूर्वी सीमा पर स्थित खसरा नम्बर 1893/3911 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1896/3912 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1897/3913 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1901/3910 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि पर अक्टूबर 2014 से अवैध रूप से बिना हक अधिकार के कब्जा कर अपने खेत में मिला लिया एवं फसल बो दी। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादीगण को कहा कि जमीन की सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवा लेंगे आपकी जमीन निकलेगी तो हम कब्जा छोड देंगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा दोनों के खेतो का सीमाज्ञान करवा कर सीमा निर्धारित करके पत्थरगढी करवाने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपनी व्यस्थता बताकर टालमटोल करते रहे

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

तथा अभी दिनांक 01.10.2016 को प्रतिवादीगण ने छुट्टियों का फायदा उठाते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1897/3913 रकबा 0.15 है0 में 40 बाई 40 फीट में पौल्ट्री शेड का निर्माण कर लिया एवं खसरा नम्बर 1901/3910 रकबा 0.10 है0 में जानवरों का बाडा बना लिया व गोबर, रूडी, छडियां डाल रहा है। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को उक्त कार्य करने से मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने एक बार तो काम रोक दिया परन्तु फिर मौका देखकर थोडा थोडा निर्माण कर रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का उक्त निर्माण विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से किया गया है। जो कानूनन अवैध है। जिसको विधिक तरीके से हटवाया जाने का वादीगण को हक अधिकार हासिल है। इस बिनाय पर दावा पेश करना लाजमी आया है।

वाद वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बाबत बैदखली डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1893/3911 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1896/3912 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1897/3913 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1901/3910 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, में स्थित से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का अवैध कब्जा, अतिक्रमण हटाया जावे तथा अवैध निर्माण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खर्चे से तुडवाया जाकर हटवाया जावे एवं राजस्व लगान का 15 गुणा जुर्माना लगा कर विधि अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादग्रस्त भूमि में अवैध रूप से किसी भी प्रकार का कच्चा, पक्का निर्माण नहीं करे, व वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। उक्त कार्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन से करवाये।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विवादित भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1893/3911, 1896/3912, 1897/3913, 1901/3910 बाबत् सीमाज्ञान के आदेश दिनांक 18.04.2001 को तहसीलदार भू0अ0 चौमूं के क्रमांक भू0अ0/2001/2 द्वारा हुये थे उक्त आदेश की पालना आज दिवस तक नहीं हुई है तथा उक्त विवादित खसरा नम्बर का सीमाज्ञान आज तक नहीं हुआ है अतः वाद बिना सीमाज्ञान विधि विरूद्ध है तथा बिना सीमाज्ञान बेदखली का वाद चलने योग्य नहीं है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण का कब्जा व पोल्ट्रीशेड, पशुबाडा व आबादी के रूप में माना है उक्त निर्माण प्रतिवादीगण की भूमि पर है जिस पर से बेदखल करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को कृषि भूमि से संबंधित बेदखली का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1893/3911, 1896/3912, 1897/3913, 1901/3910 के सीमाज्ञान बाबत वादीगण ने तहसीलदार चौमूं को कभी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया हैं, ना ही कोई आदेश करवाया हैं। प्रार्थी/प्रतिवादीगण दिनांक 18.04.2001 को सीमाज्ञान आदेश होना मिथ्या वर्णित किया हैं। प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों पर पेश करने के कारण खारिज होने योग्य हैं।

उक्त उनवानी वाद राजस्व संबंधी खातेदारी भूमि का हैं, वादीगण की खातेदारी भूमि पर विपक्षीगण को बेदखल करवाने का वादीगण को हक अधिकार हैं, एवं राजस्व भूमि से बेदखल करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त हैं, वाद हाजा में आबादी भूमि या सिविल राईटस का विवाद नहीं हैं। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य हैं।

प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधान आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत पेश किया हैं, प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी वर्णित नहीं किया हैं कि वादीगण का वाद विधि द्वारा किसी प्रावधान के तहत वर्णित हैं। विपक्षीगण ने मात्र वादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से मिथ्या व सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण का कब्जा पोल्ट्रीशेड, पशुबाडा व आबादी के रूप में माना है उक्त निर्माण प्रतिवादीगण की भूमि पर है जिस पर से बेदखली करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को कृषि भूमि से संबंधित बेदखली का सुनने का क्षेत्राधिकार है जिससे वाद विधि द्वारा वर्जित होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादपत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कालाडेरा में न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

उनवान

3. भरतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह
4. हितेन्द्र बेनीवाल पुत्र श्री श्यापाल बेनीवाल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

4. मालीराम पुत्र बालुराम
5. बनवारीलाल पुत्र मालीराम
6. महेश पुत्र मालीराम
समस्त जाति खटीक, निवासी रीको एरीया के पास ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 188/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी व प्रतिवादीगण हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादपत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

बसस्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 15.06.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत

ओहदा......

उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पत्र दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर

Scanned by CamScanner